अनुसूची–14 फर्म सं0–562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 129)

.... से ....तक ।

आदेश – पत्रक– ता0 ....

जिला –गढ़वा विविध वाद सं0 03 /2020–21

केश का प्रकार– ग्राम–हूर का NH-75 अन्तर्गत ली जाने वाले कायम जमाबंदी गैरमजरूआ भूमि के जमाबंदी रैयतो के क्षतिपुर्ति भुगतान के संबंध में।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

1

दिनांक–15.05.2019 को उपायुक्त, गढ़वा के अध्यक्षता में आयोजित भू–अर्जन से संबंधित समीक्षा बैठक में NH–75 के गढ़वा बाईपास में पड़ने वाली ऐसी सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी कायम है का विधिवत जांच कर प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया है। इसी क्रम में उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक–187 दिनांक–25.06.2020 द्वारा पांच विन्दुओं पर विधिवत कायम जमाबंदी गैरमजरूआ मालिक भूमि का अभिलेख संधारण हेतु निदेश दिया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि ऐसी भूमि जिसका जमाबंदी कायम है का जांच प्रतिवेदन ग्रामवार एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराए।

अंचल अधिकारी
गढ़वा।

1.7.20

अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा NH-75 अन्तर्गत ली जाने वाले कायम जमाबंदी गैरमजरूआ भूमि का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवंत हैं :–

01 विवरणी :–

01. – भूमि का विवरण

क्र0 सं0	मौजा/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	खतियानी प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01	हूर थाना सं0 328	57	308	0.0437	नगेश्वर तिवारी पिता–सिधेश्वरी तिवारी	धान–2	मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–30/5
	कुल रकबा			0.0437	(चार डिसमिल)		

02. पंजी–2 के अनुसार जमाबंदी रैयत का नाम :– नगेश्वर तिवारी पिता–सिधेश्वरी तिवारी
03. यदि पंजी–2 रैयत मृत्य है तो उनके वंशावली के अनुसार वर्तमान रैयत का नाम :–वंशावली संलग्न
04. पंजी –2 के अनुसार धारित रकबा :– 0.13 एकड़ (तेरह डी0)।
05. उक्त धारित रकबा में से अधिग्रहण मे जाने वाला रकबा :– 0.0437 एकड़ भूमि।
06. निर्गत लगान रसीदों का विवरण :–141545/1998–99
07. कायम जमाबंदी का आधार/प्राधिकार :– विविध वाद संख्या–61/1996–97
08. कितने वर्षो से कब्जा हैं :– 30 वर्षो से अधिक अवधि से ।

Scanned with CamScanner

09. मुआवजा भुगतान के दावा हेतु कारण सहित मंतव्य :– यह डिमाण्ड आपसी बटवारानामा द्वारा विविध वाद संख्या–61/1996–97 के द्वारा खोला गया है जो इससे पूर्व A.R. Case No. 08/1964–65 के द्वारा श्री सिद्धेश्वर तिवारी पिता–रामजतन तिवारी के नाम से माल बांधा गया उसमें खाता संख्या–57 प्लॉट संख्या–308 रकबा–0.13 एकड़ भूमि का माल बांधा गया है। इस प्लॉट खतियानी रकबा भी 0.13 एकड़ भूमि ही है। इससे स्पष्ट होता है कि मांगधारी एवं इनके पूर्वजों का 30 वर्षो से अधिक समय से दखल–कब्जा है। दखलकार देही रैयत है।

उसमाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के द्वारा निर्देशित 05 विन्दुओं का प्रतिवेदन निम्नवत पाया गया :–

क्र0 सं0	विन्दुवार की गई पृच्छा	निष्पादन प्रतिवेदन
1	2	3
01	लाभुक को जमाबंदी कायम होने का अधार क्या हैं ? साथ ही किस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मांग कायम किया है उसका पूर्ण विवरणी आदेश पत्रक में अंकित करें।	विविध वाद संख्या–61/1996–97 के आधार पर कायम था।
02	मांग पंजी–2 के छायाप्रति सत्यापन कर संलग्न किया जाय।	संलग्न किया गया है।
03	मांग कायम से संबंधित अगर नामांतरण वाद अभिलेख संधारित हो तो अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाय।	विविध वाद संख्या की छायाप्रति संलग्न।
04	संबंधित भूमि का वर्तमान स्थिति क्या है ? दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	दखल–कब्जे में है।
05	संबंधित मांगधारी/रैयत मूल रूप से देही रैयत है अथवा पाही रैयत है स्पष्ट किया जाय।	देही रैयत।

02 विवरणी :–

01. – भूमि का विवरण

क्र0 सं0	मौजा/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	खतियानी प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01	[illegible] थाना सं0 329	118	428	0.0909	सावित्री देवी पति–ब्रजेश चौबे, आशा देवी पति–शिशिर कुमार चौबे, सुजाती देवी पति–हेमन्त कुमार चौबे	परती कदीम	मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–136/4
	कुल रकबा			0.0909	(नौ डिसमिल)		

02. पंजी–2 के अनुसार जमाबंदी रैयत का नाम :– सावित्री देवी पति–ब्रजेश चौबे, आशा देवी पति–शिशिर कुमार चौबे, सुजाती देवी पति–हेमन्त कुमार चौबे

03. यदि पंजी–2 रैयत मृत्यु है तो उनके वंशावली के अनुसार वर्तमान रैयत का नाम :–स्वयं

04. पंजी –2 के अनुसार धारित रकबा :– 0.05 एकड़ (पांच डी0)।

05. उक्त धारित रकबा में से अधिग्रहण में आने वाला रकबा :– 0.0909 एकड़ भूमि।

Scanned with CamScanner

06. निर्गत लगान रसीदों का विवरण :–1562224/2004–05

07. कायम जमाबंदी का आधार/प्राधिकार :– नामांतरण वाद संख्या–440, 441, 449/2004–05

08. कितने वर्षों से कब्जा हैं :– 30 वर्षों से अधिक अवधि से ।

09. मुआवजा भुगतान के दावा हेतु कारण सहित मंतव्य :– प्लॉट संख्या–428 रकबा–0.10 एकड़ भूमि का मांग A.R. Case No. 1714/1956–57 के द्वारा श्री शिवनन्दन चौबे पिता–जगा चौबे के नाम से माल बांधा गया। जिसका खतियानी रकबा भी 0.10 एकड़ भूमि का ही है। जिससे इनके वारिसानों द्वारा खरीदी करे गई है। जिसका विवरण उपर उपलब्ध है। शेष रकबा शिवनन्दन चौबे के ही नाम से पृष्ठ संख्या–83/1 पर कायम है। जिसपर आशा देवी, सुजन्ती देवी एवं सावित्री देवी अपना दावा करती है। यह स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत एवं इनके पूवजों का इस भूमि पर 30 वर्षों से अधिक समय से दखल–कब्जा है। रैयत देही रैयत है।

उसमाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के द्वारा निर्देशित 05 विन्दुओं का प्रतिवेदन निम्नवत पाया गया :–

क्र0 सं0	विन्दुवार की गई पृच्छा	निष्पादन प्रतिवेदन
1	2	3
01	लाभुक को जमाबंदी कायम होने का अधार क्या हैं ? साथ ही किस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मांग कायम किया है उसका पूर्ण विवरणी आदेश पत्रक में अंकित करें।	नामांतरण वाद संख्या–440, 441, 449/2004–05 के आधार पर कायम था।
02	मांग पंजी–2 के छायाप्रति सत्यापन कर संलग्न किया जाय।	संलग्न किया गया है।
03	मांग कायम से संबंधित अगर नामांतरण वाद अभिलेख संधारित हो तो अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाय।	नामांतरण वाद संख्या की छायाप्रति संलग्न।
04	संबंधित भूमि का वर्तमान स्थिति क्या हैं ? दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	दखल–कब्जे में है।
05	संबंधित मांगधारी/रैयत मूल रूप से देही रैयत है अथवा पाही रैयत है स्पष्ट किया जाय।	देही रैयत।

03 विवरणी :–

01. – भूमि का विवरण

क्र0 सं0	मौजा/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	खतियानी प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01	हूर थाना सं0 328	02	614	0.0896	दिनबंधु तिवारी एवं अन्य पिता–नागेश्वर तिवारी सभी0	धान–3	पृष्ठ संख्या–27/5, 26/5, 29/5, 26/5
	कुल रकबा			0.0896	(नौ डिसमिल)		

02. पंजी–2 के अनुसार जमाबंदी रैयत का नाम :– दिनबंधु तिवारी पिता–नागेन्द्र तिवारी निर्माला कुंवर पति–दिनानाथ तिवारी, संजय तिवारी पिता–नागेश्वर तिवारी, पंकज तिवारी पिता–नागेश्वर तिवारी।

03. यदि पंजी–2 रैयत मृत्य है तो उनके वंशावली के अनुसार वर्तमान रैयत का नाम :–वंशावली

Scanned with CamScanner

पंजी –2 के अनुसार धारित रकबा :– 0.72 1/2 एकड़ (बहतर, एक [illegible]

. उक्त धारित रकबा में से अधिग्रहण मे जाने वाला रकबा :– 0.0896 एकड़ [illegible]

06. निर्गत लगान रसीदों का विवरण :–055962/2014–15, 099789 [illegible]
71022/2012–13, 6471023/2012–13 ।

07. कायम जमाबंदी का आधार/प्राधिकार :– विविध वाद संख्या–61/1996–97

08. कितने वर्षों से कब्जा हैं :– 30 वर्षो से अधिक अवधि से ।

09. मुआवजा भुगतान के दावा हेतु कारण सहित मंतव्य :– यह डिमाण्ड आपसी बटवारानामा के द्वारा विविध वाद संख्या–61/1996–97 के द्वारा खोला गया है, जो इससे पूर्व A.R. Case No. 08/1964–65 के द्वारा श्री सिद्धेश्वर तिवारी पिता–रामजतन तिवारी के नाम से माल बांधा गया उसमे खाता संख्या–02 प्लॉट संख्या–614 रकबा–0.73 एकड़ का माल बांधा गया है। इस प्लॉट का खतियानी रकबा भी 0.73 एकड़ भूमि ही है। इससे स्पष्ट होता है कि मांगधारी एवं इनके पूर्वजों का इस भूमि पर 30 वर्षो से अधिक समय से दखल–कब्जा है। रैयत देही रैयत है।

उसमाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के द्वारा निर्देशित 05 विन्दुओं का प्रतिवेदन निम्नवत पाया गया :–

क्र0 सं0	विन्दुवार की गई पृच्छा	निष्पादन प्रतिवेदन
1	2	3
01	लाभुक को जमाबंदी कायम होने का अधार क्या हैं ? साथ ही किस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मांग कायम किया है उसका पूर्ण विवरणी आदेश पत्रक में अंकित करें।	विविध वाद संख्या–61/1996–97 के आधार पर कायम था।
02	मांग पंजी–2 के छायाप्रति सत्यापन कर संलग्न किया जाय।	संलग्न किया गया है।
03	मांग कायम से संबंधित अगर नामांतरण वाद अभिलेख संधारित हो तो अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाय।	विविध वाद संख्या की छायाप्रति संलग्न।
04	संबंधित भूमि का वर्तमान स्थिति क्या हैं ? दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	दखल–कब्जे में है।
05	संबंधित मांगधारी/रैयत मूल रूप से देही रैयत है अथवा पाही रैयत है स्पष्ट किया जाय।	देही रैयत।

04 विवरणी :–

01. – भूमि का विवरण

क्र0 सं0	मौजा/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	खतियानी प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01	हूर थाना सं0 320	64	633	0.38570	जय प्रकाश तिवारी पिता–हरिहर तिवारी	परती कदीम	मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–180/1, 104/4, 105/4
कुल रकबा				0.38570	(उन्चालीस डिसमिल)		

02 पंजी–2 के अनुसार जमाबंदी रैयत का नाम :– जय प्रकाश तिवारी पिता–हरिहर तिवारी

03. यदि पंजी–2 रैयत मृत्य है तो उनके वंशावली के अनुसार वर्तमान रैयत का नाम :–स्वयं

Scanned with CamScanner

... 50 1/2 एकड़ (पच्चास, एक बटा दो ...)।

... अधिग्रहण में जाने वाला रकबा :- 0.38570 एकड़ भूमि।

... का विवरण :-858244/10-11 का पृष्ठ सं0 180/1, 858213/10-11, ... का पृष्ठ सं0-104/4, 9456359/02-03, 858214/10-11, 078188/15-16 का ... पृष्ठ सं0-105/4।

07. कायम जमाबंदी का आधार/प्राधिकार :- नामांतरण वाद संख्या-643, 644, 645, 646, 647/10-11 का पृष्ठ सं0-180/1, 606/02-03 का पृष्ठ सं0 104/5, 608/02-03 का पृष्ठ सख्या-105/4।

08. कितने वर्षो से कब्जा हैं :- 30 वर्षो से अधिक अवधि से ।

09. मुआवजा भुगतान के दावा हेतु कारण सहित मंतव्य :- जय प्रकाश तिवारी द्वारा इस भूमि की खरीदी सुदामा राम चौबे बंशजों द्वारा की गई है। राजकेश्वर चौबे के नाम से A.R. case No. 1694/56-57 द्वारा खाता संख्या-64 प्लॉट संख्या-633 की मालबंधी की गई थी। एम0 रॉल तो नही मिला परन्तु बुझारत से मिलान के दौरान इस खाता प्लॉट की स्थिति स्पष्ट हुई जिसमें इनके नाम से खाता संख्या-64 प्लॉट संख्या-633/722 रकबा-0.51 एकड़ का मांल राजकेश्वर चौबे के नाम से एवं रकबा-0.51 एकड़ सुदामा चौबे के नाम से A.R. Case No. 1696/94-95 के द्वारा माल बांधा गया है। प्लॉट संख्या-633 का कुल खतियानी रकबा-01.02 एकड़ का ही है। एवं प्लॉट संख्या-633 का कुल खतियानी रकबा 02.02 एकड़ का है। जिसमें एम0 रॉल केश नं0 1696/56-57 के तहत सुदामा चौबे के नाम से प्लॉट संख्या-633 रकबा-1.01 एकड़ का माल बांधा गया है एवं A.R. Case No. 1694/56-57 के द्वारा राजकेश्वर चौबे के नाम से प्लॉट संख्या-633 रकबा-01.01 एकड़ का मांल बांधा गया है। बुझारत से मिलान के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि प्लॉट संख्या-633/722 एंव 633 कुल रकबा का माल बांधा गया है। रैयत देही रैयत है।

उसमाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के द्वारा निर्देशित 05 विन्दुओं का प्रतिवेदन निम्नवत पाया गया :-

क्र0 सं0	विन्दुवार की गई पृच्छा	निष्पादन प्रतिवेदन
1	2	3
01	लाभुक को जमाबंदी कायम होने का अधार क्या हैं ? साथ ही किस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मांग कायम किया है उसका पूर्ण विवरणी आदेश पत्रक में अंकित करें।	नामांतरण वाद संख्या-643, 644, 645, 646, 647/10-11 का पृष्ठ सं0-180/1, 606/02-03 का पृष्ठ सं0 104/5, 608/02-03 का पृष्ठ संख्या-105/4। के आधार पर कायम था।
02	मांग पंजी-2 के छायाप्रति सत्यापन कर संलग्न किया जाय।	संलग्न किया गया है।
03	मांग कायम से संबंधित अगर नामांतरण वाद अभिलेख संधारित हो तो अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाय।	नामांतरण वाद की पंजी की छायाप्रति संलग्न।
04	संबंधित भूमि का वर्तमान स्थिति क्या है ? दखल-कब्जा की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	दखल-कब्जे में है।
05	संबंधित भागधारी/रैयत मूल रूप से देही रैयत है अथवा बाहरी रैयत है स्पष्ट किया जाय।	देही रैयत।

05 विवरेणी :–

01. – भूमि का विवरण

क्र0 सं0	मौजा / थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	खतियानी प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01	हुर थाना सं0 328	64	635	0.0768	सुदामा राम चौबे पिता–राम किशुन चौबे, राजकिशोर चौबे पिता–........	परती कदीम	मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–82/1, 83/1 पेज नं0 87/1 पुराना।
कुल रकबा				0.0768	(आठ डिसमिल)		

02. पंजी–2 के अनुसार जमाबंदी रैयत का नाम :–सुदामा राम चौबे पिता–राम किशुन चौबे, राजकिशोर चौबे पिता–..............................

03. यदि पंजी–2 रैयत मृत्य है तो उनके वंशावली के अनुसार वर्तमान रैयत का नाम :–वंशावली संलग्न

04. पंजी –2 के अनुसार धारित रकबा :– 0.13 एकड़ (तेरह डी0)।

05. उक्त धारित रकबा में से अधिग्रहण मे जाने वाला रकबा :– 0.0768 एकड़ भूमि।

06. निर्गत लगान रसीदों का विवरण :–दर्ज नही है।

07. कायम जमाबंदी का आधार/प्राधिकार :– A.R. Case No. 1696/56–57 एवं 1694/56–57

08. कितने वर्षो से कब्जा हैं :– 30 वर्षो से अधिक अवधि से ।

09. मुआवजा भुगतान के दावा हेतु कारण सहित मंतव्य :– बुझारत से मिलान के पश्चात खाता संख्या–64 प्लॉट संख्या–635 रकबा–0.13 एकड़ का माल A.R. Case No. 1696/56–57 एवं 1694/56–57 के तहत बांधा गया है। यह स्पष्ट होता है कि सुदामा राम चौबे राजकिशोर उर्फ राजकेश्वर चौबे एवं इनके वंशजो का इस भूमि पर 30 वर्षो से अधिक समय से दखल–कब्जा है। रैयत पाही है।

उसमाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के द्वारा निर्देशित 05 विन्दुओं का प्रतिवेदन निम्नवत पाया गया :–

क्र0 सं0	विन्दुवार की गई पृच्छा	निष्पादन प्रतिवेदन
1	2	3
01	लाभुक को जमाबंदी कायम होने का अधार क्या हैं ? साथ ही किस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मांग कायम किया है उसका पूर्ण विवरणी आदेश पत्रक में अंकित करें।	A.R. Case No. 1696/56–57 एवं 1694/56–57 के आधार पर कायम था।
02	मांग पंजी–2 के छायाप्रति सत्यापन कर संलग्न किया जाय।	संलग्न किया गया है।
03	मांग कायम से संबंधित अगर नामांतरण वाद अभिलेख संधारित हो तो अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाय।	ए0 आर0 की छायाप्रति संलग्न।
04	संबंधित भूमि का वर्तमान स्थिति क्या हैं ? दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	दखल–कब्जे में है।
05	संबंधित मांगधारी/रैयत मूल रूप से देही रैयत है अथवा पाही रैयत है स्पष्ट किया जाय।	देही रैयत।

Scanned with CamScanner

06 विवरणी :–

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	खतियानी प्रकृति	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8
	[illegible] 328	75	637	1.4957	राधिका कुंवर पति–राजेन्द्र तिवारी अभिमन्यु तिवारी पिता–स्व0 कस्तुरी तिवारी, भागी तिवारी पिता–[illegible]	परती कदीम	मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–17/3, 111/4, 73/1
कुल रकबा				1.4957	(एक एकड़ पच्चास डिसमिल)		

02. पंजी–2 के अनुसार जमाबंदी रैयत का नाम :– राधिका कुंवर पति–राजेन्द्र तिवारी अभिमन्यु तिवारी पिता–स्व0 कस्तुरी तिवारी भागी तिवारी (नावल्द) पिता–[illegible]

03. यदि पंजी–2 रैयत मृत्य है तो उनके वंशावली के अनुसार वर्तमान रैयत का नाम :–स्वयं

04. पंजी –2 के अनुसार धारित रकबा :– 0.राधिका कुवंर (2.23 1/2 ए0), अभिमन्यू तिवारी (1.51 ए0), भागी तिवारी (3.74) एकड भूमि।

05. उक्त धारित रकबा में से अधिग्रहण मे जाने वाला रकबा :– 1.4957 एकड़ भूमि।

06. निर्गत लगान रसीदों का विवरण :–पेज नं0 17/3 (311431/93–94741577/99–2000, 1512807/07–08, 60523/16–17), पेज नं0 111/4 (1512830–07–08), पेज नं0 पुरानी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–3/1 पर 283858/74–75, 092594/77–78 नया मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–52/1 पर मांग है।

07. कायम जमाबंदी का आधार/प्राधिकार :– A.R. Case No. 1628/56–57

08. कितने वर्षो से कब्जा हैं :– 50 वर्षो से ।

09. मुआवजा भुगतान के दावा हेतु कारण सहित मंतव्य :– खाता संख्या–75 प्लॉट संख्या–637 रकबा–10.00 एकड़ (दस एकड़) का मांग भागी तिवारी के नाम से पृष्ठ संख्या–73/1 पर पुरानी मांग पंजी–2 में कायम था जिससे राधिका कुंवर एवं अभिमन्यू तिवारी के द्वारा खरीदी की गई एवं दा0 खा0 कराया गया है जिसका मांग पंजी–2 संलग्न है। भागी तिवारी के द्वारा रामराज चौबे को भी विक्री की गई है। रामराज चौबे के द्वारा मोरध्वज चौबे वगैं0 को विक्री की गई है। परन्तु मोरध्वज चौबे वगैं0 का मांग नही चलता है। खाता संख्या–75 प्लॉट संख्या–637 का खतियानी रकबा 12.00 एकड़ भूमि का है। परन्तु मालबंधी 10.00 एकड़ भूमि का ही है। इस प्लॉट में अधियाचित रकबा–3. 4957 है। जिसमें 02.00 एकड़ भूमि हस्तांतरित हेतु प्रस्ताव बनाया गया है एवं शेष रकबा–1.4937 एकड़ भूमि का मांग राधिका कुंवर, अभिमन्यु तिवारी एवं भागी तिवारी के नाम से है। रैयत देही है।

Scanned with CamScanner

समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के द्वारा निर्देशित 05 विन्दुओं का प्रतिवेदन निम्नवत पाया गया

क्र० सं०	विन्दुवार की गई पृच्छा	निष्पादन प्रतिवेदन
1	2	3
01	लाभुक को जमाबंदी कायम होने का अधार क्या हैं ? साथ ही किस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मांग कायम किया है उसका पूर्ण विवरणी आदेश पत्रक में अंकित करें।	A.R. Case No. 1628/56–57 के आधार पर कायम था।
02	मांग पंजी–2 के छायाप्रति सत्यापन कर संलग्न किया जाय।	संलग्न किया गया है।
03	मांग कायम से संबंधित अगर नामांतरण वाद अभिलेख संधारित हो तो अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाय।	ए0 आर0 की छायाप्रति संलग्न।
04	संबंधित भूमि का वर्तमान स्थिति क्या हैं ? दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	दखल–कब्जे में है।
05	संबंधित मांगधारी/रैयत मूल रूप से देही रैयत है अथवा पाही रैयत है स्पष्ट किया जाय।	देही रैयत।

07 विवरणी :–

01. – भूमि का विवरण

क्र0 सं0	मौजा/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	खतियानी प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01	हूर थाना सं0 328	78	644	0.0847	मोहर तिवारी पिता–अनुप तिवारी	टाड़–3	मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–76/1
	कुल रकबा			0.0847	(आठ डिसमिल)		

02. पंजी–2 के अनुसार जमाबंदी रैयत का नाम :– मोहर तिवारी पिता–अनुप तिवारी

03. यदि पंजी–2 रैयत मृत्य है तो उनके वंशावली के अनुसार वर्तमान रैयत का नाम :–वंशावली संलग्न।

04. पंजी –2 के अनुसार धारित रकबा :– 3.66 एकड़ (तीन एकड़ छेयासठ डिसमिल)

05. उक्त धारित रकबा में से अधिग्रहण मे जाने वाला रकबा :– 0.0847 एकड़ भूमि।

06. निर्गत लगान रसीदों का विवरण :–लगान रसीद 1970 से 1980 तक में 09 रसीद निर्गत हुआ है परन्तु मांग पंजी जिर्ण–शीर्ण होने के कारण रसीद संख्या नहीं है।

07. कायम जमाबंदी का आधार/प्राधिकार :– A.R. Case No. 1713/56–57

08. कितने वर्षो से कब्जा हैं :– 50 वर्षो से

Scanned with CamScanner

मुआवजा भुगतान के दावा हेतु कारण सहित मंतव्य :– खाता संख्या–78 प्लॉट संख्या–644 रकबा–3.66 का मांग मोहर तिवारी पिता–अनुप तिवारी के नाम से पृष्ठ संख्या–76/1 पुरानी मांग संख्या–2 में चलता है। प्लॉट संख्या–644 का कुल खतियानी रकबा–11.00 एकड़ भूमि है जिसमें कुल रकबा का मालबंधी हो चुका है। इनका दखल–कब्जा 30 वर्षो से अधिक से है। रैयत देही है।

उसमाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के द्वारा निर्देशित 05 विन्दुओं का प्रतिवेदन निम्नवत पाया गया :–

क्र0 स0	विन्दुवार की गई पृच्छा	निष्पादन प्रतिवेदन
1	2	3
01	लाभुक को जमाबंदी कायम होने का अधार क्या हैं ? साथ ही किस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मांग कायम किया है उसका पूर्ण विवरणी आदेश पत्रक में अंकित करें।	A.R. Case No. 1713/56–57 के आधार पर कायम था।
02	मांग पंजी–2 के छायाप्रति सत्यापन कर संलग्न किया जाय।	संलग्न किया गया है।
03	मांग कायम से संबंधित अगर नामांतरण वाद अभिलेख संधारित हो तो अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाय।	ए0 आर0 की छायाप्रति संलग्न।
04	संबंधित भूमि का वर्तमान स्थिति क्या हैं ? दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	दखल–कब्जे में है।
05	संबंधित मांगधारी/रैयत मूल रूप से देही रैयत है अथवा पाही रैयत है स्पष्ट किया जाय।	देही रैयत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक–423 दिनांक–12.02.2015 में प्रावधान अंकित है कि गैरमजरूआ खास/सरकारी भूमि पर 30 वर्षों के अधिक अवधि से दखलकार पाये गये एंव जोत आबाद कर रहे व्यक्तियों जिनके नाम से पंजी–2 में 30 वर्षो से अधिक समय से जमाबंदी चल रही है मात्र उन्ही रैयतो को कायमी रैयतों के समान अनुमान्य क्षतिपुर्ति राशि अनुमान्य है।

उपरोक्त वर्णित भूमि के विवरणी क्रम संख्या–01 से 07 तक रैयतो के भूमि ए0आर0 केश नं0 एवं नामांतरण वाद से जमाबंदी कायम करायें है। मांग/जमाबंदी 30 वर्षो से अधिक पुरानी है। ऐसे में इन रैयतों के मुआवजा पर विचार किया जा सकता है। मुआवजा भुगतान जिला भू0 अर्जन पदाधिकारी के जांचोंपरांत संतुष्टि के आधार पर देय होगा।

अतः अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुसंशा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एंव संशोधित।

अंचल अधिकारी
गढ़वा।

अंचल अधिकारी
गढ़वा।

Scanned with CamScanner